तथा अन्य उच्च स्तरीय सरकारी और गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों ने कुछ देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन यात्राओं का प्रयोजन क्या था और उनके क्या परिणाम निकले ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके साथ विदेशों में बातचीत हुई थी और समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(घ) इन यात्राओं के फलस्वरूप भारत को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति

1145. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के कोई आदेश है कि सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को उनकी सामान्य भविष्य निधि की धनराशि सहित उनकी सभी देय राशियों का भुगतान सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस नियम के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार ने जनवरी, 1987 में ऐसे अनुदेश जारी कर दिए थे जिनमें विभागों/कार्यालयों के अध्यक्षों को इस बात के लिए जवाबदेह बना दिया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनन्तिम अथवा अन्तिम पेंशन और उपादान के प्राधिकृत किए जाने और भुगतान किए जाने के बारे में सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले संबंधित मंत्रालय/विभाग की जानकारी में केवल तभी आते हैं जब नोटिस प्राप्त होता तथा चूंकि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध समय बहुत कम होता है, इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में उपर्युक्त आदेशों को लागू करना सम्भव नहीं समझा गया। परन्तु जब कभी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के मामले में पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के भुगतान में देरी के मामले सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं, तो संबंधित विभागों/कार्यालयों को ऐसे मामले यथासंभव न्यूनतम समय में निपटाने की सलाह दी जाती है।

(ख) पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान की पद्धति विकेन्द्रीकृत आधार पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त, पेंशन के भुगतान की व्यवस्था पेंशनभोगी/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के विकल्प के अनुसार वेतन तथा लेखा कार्यालयों, सरकारी खजानों, डाक घरों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से की जाती है। अतः अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

Interference of Pakistan in Afghan affairs

1146. SHRI CHIMANBHAI MEHTA; Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the steps being contemplated by Government of India to prevent interference of Pakistan and Pakistan aided Mujaheedin in Afghanistan;

(b) whether the attemnts have met with any success so far; Sid

(c) what action is proposed to cosh-teract Pakistan's intervention in Afghanistan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Government have